न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — **रूक्मणि रियार सिहाग**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
230 / अपील / 17	06.12.2017	21.10.2019

श्रीमती राजेश बाई पुत्री छीतरलाल पत्नी दयाराम जाति मेघवाल, नि. चापरस हाल निवास उमरच, तहसील व जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती नन्दू बाई बेवा छीतरलाल मेघवाल, निवासी चापरस
2. श्रीमती काली बाई बेवा छीतरलाल मेघवाल, निवासी चापरस
3. कालूलाल आ0 नन्दा जाति मेघवाल, निवासी चापरस, तह. बून्दी
4. रघुनाथ आ0 नन्दा जाति मेघवाल, निवासी चापरस, तह. बून्दी
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 की ओर से श्री शंभूलाल मेघवाल, एड0
रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एड0
रेस्पो.सं. 5 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार, बून्दी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांक 15.06.2015 ग्राम चापरस से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सहखातेदार छीतरलाल आ0 नन्दा मेघवाल के फौत जाने के कारण उसके वारिसान के पक्ष में खारिज किया गया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर, अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खाता संख्या 26 पुराना 19 की कृषि भूमि खसरा संख्या 248/31 रकबा 3 बीघा, खसरा संख्या 250/1 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 268/74 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किता तीन कुल रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम चापरस में विस्थित है। जिसमें अपीलांट की माता नन्दूबाई का 1/6 हिस्सा एवं कालीबाई का 1/6 हिस्सा एवं कालूलाल, रघुनाथ का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में निहित है। उक्त भूमि में अपीलांट मृतक छीतरलाल की वैध पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांट का उक्त भूमि में जन्म से ही कानूनन हिस्सा निहित हो गया था। लेकिन जमीनों के भाव बढने के साथ ही कालीबाई, कालूलाल व रघुनाथ के मन बदनियति व बेईमानी आ गई है तथा रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 ने आपस में सांठ गाठ कर ली है। उक्त आराजी के सहखातेदार व अपीलांट के पिता छीतरलाल का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् हल्का पटवारी रामगंज द्वारा मृतक खातेदार छीतरलाल के वारिसान का जो सजरा बनाया गया उसमें अपीलांट का नाम भी अंकित था, उक्तानुसार फोती नामान्तरकरण संख्या 466 खोला गया जिसके कॉलम संख्या 10 पर राजेशबाई पुत्री छीतर हिस्सा 1/6 दर्ज किया गया। नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के बाद उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 19 में भी नये खातेदारों की प्रविष्टि में भी राजेशबाई पुत्री छीतर हिस्सा 1/6 तस्दीक किया गया। लेकिन बाद में रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 द्वारा राजस्व अधिकारियो से सांठगांठ करके अपीलांट के हिस्से की जमीन के नामान्तरकरण में से आपसी मिलीभगत से अपीलांट का नाम कटवा लिया गया, जो नामान्तरकरण में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपीलांट के हिस्से की भूमि पर भी रेस्पो. द्वारा दादागिरी व ताकत के बल पर कब्जा कर लिया। राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलांट का नाम नामान्तरकरण में से विलोपित करने से पूर्व मृतक छीतरलाल के वारिसान के संबंध में सही एवं वास्तविक तरीके से जांच पडताल नहीं की गई अपितु रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 की आपसी मिलीभगत से उनकी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके किया गया, जो तथ्यों एवं विधि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने से योग्य है। जबकि अपीलांट मृतक खातेदार छीतरलाल की वैध वारिस पुत्री होने से वह विरासत के उक्त नामान्तरकरण में अपना नाम दर्ज करवाने की विधिक अधिकारी है। उक्त विवादित नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को दिनांक 15.09.2017 को हल्का पटवारी से खाते की नकल लेने जाने पर

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रथम बार हुई। तब दिनांक 21.11.2017 को नकल प्राप्त हुई। इसके बाद अभिभाषक से सम्पर्क कर यह अपील दिनांक 22.11.17 को बिना किसी देरी के प्रस्तुत की गई। उक्त अवधि को मुजरा देने पर अपील अन्दर अवधि पेश हुई है। देरी कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के इस अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार छीतलाल के सभी विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने बाबत आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट रेस्पो.सं.1 की पुत्री है जिसका पिता छीतरलाल ही है। जयराम से अपीलांट का कोई रिश्ता नहीं है। अपीलांट का लाड प्यारे से लालन पालन, पढाई लिखाई, शादी विवाह आदि समस्त पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन उसके पिता छीतरलाल द्वारा किया गया। इस संबंध में विधालय का रेकार्ड एवं विवाह का निमंत्रण पत्र आदि दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश है। लेकिन अपीलांट के पिता छीतरलाल का देहान्त हो जाने से उसके चाचाओं ने मन में बदनियान्ती आ गई। रेस्पो.सं.2 लगायत 4 द्वारा राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत करके राजस्व रिकार्ड में कांट छांट करवाई जाकर नामान्तरकरण में से राजेशबाई का नाम कटवाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार छीतलाल के सभी विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने बाबत आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्य असत्य होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थियां अप्रार्थी सं.1 नन्दूबाई की पुत्री है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध पूर्व में इसी न्यायालय में बउनवान कालीबाई बनाम नन्दूबाई की अपील का निर्णय दिनांक 11.5.16 को हो चुका है। इसलिए प्रार्थियां को उक्त नामान्तरकरण की पूर्व में ही जानकारी थी। प्रार्थियां की अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अभिभाषकगण रेस्पो. द्वारा अपील अपीलांट मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। आगे अपील में दौराने बहस गुणावगुण पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलाधीन आराजी के खातेदार छीतरलाल का देहान्त हो चुका है, उसके कोई सन्तान नहीं है। मृतक खातेदार के उत्तराधिकारी केवलमात्र उसकी विवाहित पत्नी कालीबाई है, जो प्रथमश्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा जीवित है। मृतक छीतरलाल के फोती इन्तकाल में उसकी पत्नी रेस्पो.स. 2 कालीबाई के साथ साथ राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना वास्तविक तथ्यों की जांच किये ही रेस्पो.सं. 1

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

नन्दूबाई के पक्ष में भी खोल दिया गया था, जबकि रेस्पो.सं. 2 नन्दूबाई का विवाह जयराम मेघवाल निवासी ग्राम ठहला, तहसील हिण्डोली के साथ हुआ है, उक्त जयराम मेघवाल अभी जीवित है। नन्दूबाई का जयराम से अभी तक विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। ऐसे में नन्दूबाई द्वारा पूर्व पति से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त किये बिना अपने को छीतरलाल की पत्नी बताया जाना गैर कानूनी है तथा अवैध पत्नी की श्रेणी में आता है। अपीलांट राजेशबाई मृतक खातेदार छीतरलाल की जायन्दा पुत्री नहीं होकर रेस्पो.सं.1 के पति जयराम मेघवाल निवासी ग्राम ठहला, तहसील हिण्डोली की पुत्री है। अवैध पत्नी नन्दूबाई के साथ आई हुई जयराम की संतान अपीलांट को छीतरलाल की सम्पत्ति को कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है। जहां तक विधालय रेकार्ड में पिता का नाम छीतरलाल अंकित होने का प्रश्न है तो अवैध पत्नी के साथ गेलड आई लडकी को छीतरलाल द्वारा शिक्षा दिलाई गई और शादी विवाह भी किये गये। लेकिन इस कारण से छीतरलाल को अपीलांट का प्राकृतिक पिता नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में समुचित जांच पड़ताल कर विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो विधिसम्मत है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अभिभाषकगण रेस्पो0 ने अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया तथा अपील मियाद बाहर पेश होना बताते हुये इसे चलने योग्य नहीं बताया है। अपील का परीक्षण मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 466 दिनांक 15.06.15 की जानकारी दिनांक 21.11.17 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने पर होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम में अंकित किया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपील में विलम्ब के संबंध में प्रार्थना पत्र के समर्थन में तस्दीकशुदा शपथपत्र पेश किया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अपील जहां तक प्रथमदृष्ट्या ही पूर्ण रूप से सारहीन नहीं हो, उसका निर्णय गुणावगुणों पर किया जाना चाहिये। लिहाजा हस्तगत अपील का निस्तारण गुणावगुणों के आधार पर किया जाना उचित समझते है।

गुणावगुणों पर अपील का परीक्षण किये जाने हेतु पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर ध्यानपूर्वक मनन किया, जिससे जाहिर है कि ग्राम चापरस, तहसील बून्दी की आराजी खसरा संख्या 248/31 रकबा 3 बीघा, खसरा संख्या 250/1 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 268/74 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा किता तीन कुल रकबा

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर; बून्दी

16 बीघा 07 बिस्वा पर छीतरलाल, कालूलाल, रघुनाथ पि.नन्दा कौम मेघवाल खातेदार दर्ज रेकार्ड है। सहखातेदार छीतरलाल के दिनांक 08.01.13 को फौत हो जाना अंकित करते हुये पटवारी हल्का द्वारा मृतक छीतरलाल के वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांक 15.6.15 तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा आपत्ति की गई है कि वह अपीलांट की पुत्री होने से उसका नाम भी उक्त नामान्तरकरण में दर्ज होना चाहिए था, जो नहीं किया गया, अतः अपीलाधीन नांमान्तकरण निरस्त किया जावे। जबकि रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 का यहां तर्क है कि अपीलांट खातेदार छीतरलाल की पुत्री न होकर जयराम मेघवाल ग्राम ठहला की जायन्दा पुत्री है, जिसको अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बॉडी का खेडा, पंचायत समिति, हिण्डोली से जारी पत्र दिनांक 17.10.19 से जाहिर है कि राजेश कुमारी मेघवाल पुत्री जयराम मेघवाल जिसका एसआर कमांक 234 एवं जन्मतिथि 25.12.1991 है तथा निवास स्थान ठहला दर्ज है। जो विधालय रिकार्ड के अनुसार कक्षा एक में दिनांक 01.2.1999 को विधालय में प्रवेश लिया तथा लगातार अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 18.8.1999 को नाम काटा गया। इस प्रकार प्रकट है कि अपीलांट के पिता का नाम जयराम मेघवाल है। उक्त दस्तावेज अपीलांट की ओर से पेश उच्च शिक्षा संबंधी विधालय के रेकार्ड से पूर्ववर्ती रेकार्ड है, जिसमें अपीलांट के पिता का नाम छीतरलाल अंकित नहीं है। जिससे प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राजेश बाई के प्राकृतिक पिता जयराम निवासी ग्राम ठहला है। वैसे इस न्यायालय को अपीलांट के पिता के संबंध में निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है। इस हेतु अपीलांट को सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त की जा सकती है। अपीलांट को हस्तगत अपील में कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। छीतरलाल की विवाहित पत्नी कालीबाई जीवित है। ऐसे में रेस्पो.सं.1 को छीतरलाल की वैध पत्नी नहीं माना जा सकता। यदि अपीलांट को छीतरलाल से उत्पन्न होना भी मान लिया जाये तो भी अवैध पत्नी की संतान को छीतरलाल की पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। वैसे नामान्तरकरण की कार्यवाही एक FISCAL PROCEDING है, जिसमें किसी भी तरह से स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जहां तक प्रकरणाधीन नामान्तरकरण का प्रश्न है तो इसमे कोई वैधानिक त्रुटि प्रकट नही होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

आदेश आज दिनांक 21.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर; बून्दी